

पुस्तिका

भाग-1-4

भाग-2-(5-11)



भाग-3-(12-35)

भाग-4-DPSP-36-51,

भाग-4-A-मौलिक कर्तव्य.

KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual



PRABHU SIR



✓ राष्ट्रपति President

→ De Jure.

राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का संवैधानिक प्रमुख है। The President is the head of both the country and the government constitutional.

→ वास्तविक प्रमुख - प्रधानमंत्री — De facto.

देश का प्रथम नागरिक होता है। Is the first citizen of the country.

अनु. 52 - भारत का एक राष्ट्रपति होगा - There will be a President of India.
↳ निश्चित है।

अनु. - 53 - संघ के कार्यपालिका की शक्ति भारतीय राष्ट्रपति में निहित है, और वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। The power of the executive of the Union lies in the Indian President, and he will be the supreme commander of the three armies.

अनु. 58 - राष्ट्रपति की योग्यता -

1. भारत का नागरिक हो। Be a citizen of India.
2. न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। The minimum age has been completed by 35 years.
3. लोकसभा में सदस्य बनाने की योग्यता रखता हो। You have the ability to make a member in the Lok Sabha.
4. लाभ के पद पर नहीं हो। Do not be on the post of profit.

→ इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।
 → लाभ के पद की व्याख्या - (SC) ने दिया।
 → लाभ के पद पर निर्भर करने का अधिकार संसद के पास है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन - President's election -

अठ-54 और अठ-55

अनु. 54 - राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल - electoral College of president -

1. लोकसभा और राज्य सभा के सभी निर्वाचित सदस्य
All elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha.
2. विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य
All elected members of the Legislative Assembly.
3. दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य
All elected members of Delhi and Puducherry Legislative Assembly.

12 सदस्यों का
प्रमोशन.

↓
5 क्षेत्रों से
कला, साहित्य
विज्ञान, समाज सेवा

UT → 70 वा CAA-1992.

आपलैण्ड से
अप्रत्यक्ष-निर्वाचन

अनु. 55 - राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया - President's election process -

हस्ताक्षरीय, एकलमत, अनुपातिक, संक्रमणिय, प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा
Handle, Single opinion, Ratio, Infection, Representation system

एक विधायक के वोट का मूल्य = राज्य की कुल जनसंख्या / राज्य विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या $\times 1000$

Value of the vote of an MLA = Total number of members elected in the state Legislative Assembly $\times 1000$

✓ एक सांसद के वोट का मूल्य = सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य / संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या
Value of the vote of an MP = Total value of the votes of all MLAs of all states



KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING

